डा0 के0के0 पाल,
राज्यपाल एवं कुलाधिपति
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या ~ /जी0एस/शिक्षा C5-8(II)/2015
देहरादूनः दिनांकः 12 जनवरी, 2016

:—आदेश—:

आदेश संख्या 3718/जी0एस0/C5-8/शिक्षा/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा डा0 महावीर अग्रवाल को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। डा0 महावीर अग्रवाल, कुलपति का कार्यकाल दिनांक 16 जनवरी, 2016 को पूर्ण हो रहा है।

चूंकि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में नये कुलपति हेतु गठित सर्च कमेटी की संस्तुतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। फलस्वरूप नियमित कुलपति के चयन में समय लगने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा—12 (10) के अन्तर्गत कुलाधिपति में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अन्तरिम व्यवस्था हेतु दिनांक 17 जनवरी, 2016 से आगामी दो माह अथवा नियमित कुलपति नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए डा0 महावीर अग्रवाल को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर पुनः नियुक्त किया जाता है।

डा0 के0के0 पाल
कुलाधिपति।

संख्या 4435 (1) जी0एस0 शिक्षा/C5-8 (II)/2015 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2— मुख्य प्रधान सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3— अपर मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4— अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5— सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
6— डा0 महावीर अग्रवाल, कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7— कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
8— निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
9— गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।